बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

आ0सं0–प्र०3 / स्था०–01–02 / 2024 पटना, दिनांक :–

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–4885 (ई0) दिनांक–19.07.2026 द्वारा बिहार अवर अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत निम्न नवनियुक्त कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम / गृह जिला	पिता / पति का नाम / स्थायी पता	पंजीयन सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नंबर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि / अनुशंसित कोटि	नवपदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अमन कुमार पटना	श्री अजय कुमार शर्मा तेज प्रताप नगर, अनिशाबाद, पो0–अनिशाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, बिहार–800002	BR00150010114971	386	20-12-1999	आ०क०व० / आ०क०व०	यांत्रिक अंचल, दक्षिण बिहार, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. उपर्युक्त नवनियुक्त कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) को निदेश दिया जाता है कि आदेश संख्या–4885 (ई0) दिनांक–19.07.2026 में दिये गये निदेश के अनुपालन में सभी अभिलेखों के साथ अपने पदस्थापित स्थान / कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. संबंधित पदस्थापित कार्यालय में योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता, आवासीय, आरक्षण (यदि लागू हो तो) से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ–ही स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगें।

4. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय विरमन आदेश / त्यागपत्र से संबंधित आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. योगदान की तिथि से वेतनादि का भुगतान पदस्थापित कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

6. संबंधित पदस्थापित कार्यालय से संबंधित पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जाएगी, जब तक पथ निर्माण विभाग से इनकी नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

7. उक्त नवनियुक्त कनीय अभियंता नई पेंशन योजना से अच्छादित होंगे। नवनियुक्त कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) का नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN No.) आवश्यक रूप से खोल दिया जाय।

8. वैसे नवनियुक्त कनीय अभियंता जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा साथ ही दहेज नहीं लेने–देने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करना भी आवश्यक होगा।

9. पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा एवं पदस्थापित स्थान पर आदेश निर्गत की तिथि से 15 कार्य दिवस के अर्न्तगत योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

10 पदस्थापन कार्यालय से योगदान स्वीकृति के उपरांत योगदान की तिथि से संबंधित शीर्ष से वेतनादि देय होगा।

11. नवनियुक्त कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) का नियुक्ति पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई–गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। पदस्थापित कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे राजपत्र की प्रति से भी नियुक्ति पत्र की सत्यता की जाँच कर लेंगे। इसकी प्रति विभागीय वेब–साईट पर भी उपलब्ध है।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (रा0उ0प0 सहित) तथा उक्त संबंधित नवपदस्थापित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3 / स्था०–01–02 / 2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3 / स्था०–01–02 / 2024 5105(E) पटना, दिनांक :– 23/7/26

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22.07.26